न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 215/2024
अनवान : –

1. संवताराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

नन्दराम पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर–मृतक

1. रूपराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
2. गुगनराम पुत्र नंदराम जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
3. ज्याना देवी पुत्री नन्दराम पत्नी चानणराम जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर हाल निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
4. कमला पुत्री नन्दराम पत्नी मानसिंह जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
5. भगवती पुत्री नन्दराम पत्नी ओम प्रकाश जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर हाल भगवान तहसील नोहरं
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजय सिह कडवासरा अधिवक्ता **वादी**
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता
प्रतिवादीगण
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 20/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने दिनांक 19.12.2000 को विरूद्ध अप्रार्थीगण रोही मौजा बाच्छुसर के ख0न0 13 की 4.15, 19 की 88.14 कुल 93.09 बीघा व रोही मौजा रानीसर के ख0न0 234 की 39.14, 328/234 की 16.08 कुल 56.02 बीघा भूमि बाबत वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया था। न्यायालय ने वाद वादी विधिवत सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 16.06.2006 को वाद वादी डिक्री किया गया था जिसके विरूद्ध प्रतिवादीगण ने माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के प्रकरण स0 232/2018 अनवानी ज्यानादेवी आदि बनाम सांवतराम आदि प्रस्तुत की गई। न्यायालय अपील अधिकारी हनुमानगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 09.10.2019 द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2006 को अपास्त कर इस विवेचन के साथ रिमाण्ड किया गया की सभी आवश्यक पक्षकारों को वाद में पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे सांवताराम द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 09.10.2019 की अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ... में प्रस्तत की गई। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक ... को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर का निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2006 व मानीनय न्याया... राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 09.10.2019 को अपास्त करते हुए प्रकरण इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

विवेचन के अनुसार उपखण्ड अधिकारी नोहर को प्रेतिप्रेषित किया गया की पक्षकारों द्वारा दिनांक 28.06.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न राजीनामें की वैधानिकता की जांच कर विधिसम्मत निर्णय व डिक्री का आदेश फरमावे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को तलब किया गया। वादी की और से श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण की ओर से मदन मोहन जोशी अधिवकता एवं स्व पक्षकारान आकर राजस्व मण्डल में प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु पुनः राजीनामा किया जाकर पेश किया गया तथा निवेदन किया की माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत राजीनामें के मुताबिक वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में पक्षकारान द्वारा दिनांक 28.06.2023 को राजीनामा इस आशय का पेश किया गया है कि वाके रोही मौजा बाच्छुसर तहसील नोहर के खाता स0 40/40 के खसरा न0 13 की 1.2010 हैक्ट भूमि, खसरा न0 19 की 22.4350 कुल 23.6360 हैक्ट भूमि में से 20 बीघा यानि 5.06 हैक्ट का वादी अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा एवं शेष वाद भूमि के प्रतिवादी स0 1 व 2 दोनो बहिब के मुश्तरका खातेदार काश्तकार रहेंगे तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है एवं रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 82/82 के खसरा न0 234 की 10.0410 हैक्ट, खसरा न0 328/234 की 4.1480 हैक्ट यानि 14.1890 हैक्ट में वादी 2.53 हैक्ट यानि 10 बीघा भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार होगा तथा शेष भूमि के प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 बहिब के खातेदार काश्तकार होंगे। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है। उक्त राजीनामा के अनुसार वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है। मृत्यु प्रमाण पत्र बहक नन्दराम व राजीनामा पेश किया जो की शामिल मिसल किये गये।

पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु सहमति/राजीनामा पेश किया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने कथन किया कि मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार मौजा बाच्छुसर के ख0न0 13 की 4.15, 19 की 88.14 कुल 93.09 बीघा व रोही मौजा रानीसर के ख0न0 234

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की 39.14, 328/234 की 16.08 कुल 56.02 बीघा भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा वाद वादी हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बाच्छुसर तहसील नोहर के खाता स0 40/40 के खसरा न0 13 की 1.2010 हैक्ट भूमि, खसरा न0 19 की 22.4350 कुल 23.6360 हैक्ट भूमि में से 20 बीघा यानि 5.06 हैक्ट का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष वाद भूमि का प्रतिवादी स0 1 व 2 दोनो को बहिब के मुश्तरका खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 82/82 के खसरा न0 234 की 10.0410 हैक्ट, खसरा न0 328/234 की 4.1480 हैक्ट यानि 14.1890 हैक्ट में वादी 2.53 हैक्ट यानि 10 बीघा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/03/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:58 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 215/2024

अनवान : –

1. सांवताराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

नन्दराम पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर–मृतक

1 रूपराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
2. गुगनराम पुत्र नंदराम जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
3. ज्याना देवी पुत्री नन्दराम पत्नी चानणराम जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर हाल निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
4. कमला पुत्री नन्दराम पत्नी मानसिंह जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
5. भगवती पुत्री नन्दराम पत्नी ओम प्रकाश जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर हाल भगवान तहसील नोहरं
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 215 सन 2024 निर्णय दिनांक 20/3/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री विजयसिह कडवासरा, मांगीराम बैनीवाल अधिवक्ता एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बाच्छुसर तहसील नोहर के खाता स0 40/40 के खसरा न0 13 की 1.2010 हैक्ट भूमि, खसरा न0 19 की 22.4350 कुल 23.6360 हैक्ट भूमि में से 20 बीघा यानि 5.06 हैक्ट का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष वाद भूमि का प्रतिवादी स0 1 व 2 दोनो को बहिब के मुश्तरका खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 82/82 के खसरा न0 234 की 10.0410 हैक्ट, खसरा न0 328/234 की 4.1480 हैक्ट यानि 14.1890 हैक्ट में वादी 2.53 हैक्ट यानि 10 बीघा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/3/2024... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:58 IST
Reason: SelfAttested